

2-5-18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत द्वारा
अदल सेवा केंद्र बन्दर वालों की टाणी
में पेश हुई पत्रावली का अवलोकन
किया गया पक्षकारान उपस्थित आदेश
दिनांक 10-02-15 को आंशिक रूप से
संशोधित करते हुये उभय पक्षकारान को
मुल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया
जाता है कि विवाद ग्रस्त साराणी की
मांक व रिचार्ड को यथा स्थिती बनाये
रखे। पत्रावली फंसल शुमार हेकर दफ्तर
दारिबल हो। आदेश आज अदल सेवा केंद्र
बन्दर वालों की टाणी कंप कोर्ट में सुनाया
गया।

च/18
उपखण्ड अधिकारी
सांगरलेक